23/1/2020

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित नहीं। उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थना पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से टंकित करवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

RW

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 63/2019 दायर तारीख :– 01.08.2019

सरकार बनाम अब्दूल बसीर

इस्तगासा जेर दफा 86 आर0टी0एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 23/1/2020

1. तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत गैरसायल अब्दूल बसीर पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान नि0 सांभरलेक के विरूद्व इस्तगासा निम्न प्रकार पेश किया कि दिनांक 05.07.19 को श्री गिरदावर हल्का सांभर व पटवारी हल्का सांभर के द्वारा आराजी खं0नं0 367 लगा0 370 व 374 लगा0 377 जो कि अब्दूल बसीर पुत्र अब्दूल रहमान की खातेदारी भूमि है तथा आराजी खं0नं0 371, 372, 373 रकबा 2 बीघा जो दरगाह के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसमें क्रमशः 7 झाड़ी, 2 अग्रेंजी बबूल, 5 नीम के पेड़, 4 अल्डू, 1 देशी बबूल व खं0नं0 371 में 1 बबूल सुखा, 1 बबूल गीला, 1 झाड़ सुखे हुए कटे हुए पाये जाने की रिपोर्ट पेश की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत गीले व हरे वृक्ष बिना अनुमति के काटना कानूनी अपराध है। उपरोक्त हरी व गीली लकड़ियों को कब्जेंराज लिया जाकर बोदूराम पुत्र हनुमान जाति कुमावत नि0 नांवा रोड़ थाने के सामने सांभरलेक को सुपुर्द किया गया। जब्तशुदा लकड़ियों को सार्वजनिक रूप से नीलाम करने के आदेश शीघ्र दिलवावे ताकि उनके खुर्द–बुर्द होने की संम्भावना न रहे। साथ ही खातेदारी अब्दूल बसीर पुत्र अब्दूल रहमान जाति मुसलमान नि0 सांभरलेक विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावे एवं दरगाह के नाम खातेदारी की भूमि में कटवायें गये पेड़ों के अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। जाकिर हुसैन वक्फ कमेटी की तरफ से ओर से एक प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त पेड़ों को जब्त कर बोदूराम पुत्र हनुमान जाति कुमावत नि0 नांवा रोड़ थाना के सामने सांभरलेक को सुपुर्द किये गये थे, उक्त तीनों पेड़ दरगाह सम्पति होने के कारण भविष्य में उक्त पत्रावली के निस्तारण तक ... शामिल नहीं किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान में से काटे गये पेड़ों को दरगाह वक्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by RajKumar Kaswa
Date: 2021.09.09 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner

बोर्ड कमेटी सांभरलेक के सदर को दिये जाने बाबत् आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया गया कि मुझ प्रार्थी की आराज़ीयात में कटीले पेड़ व झाड़िया लगी हुये थे जिनमे काफी काटें थे जिससे हमारी खेती में आने जाने में परेशानी होती थी तथा उक्त पेड़ की छांव के नीचें कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा था तथा खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। जिसके कारण प्रार्थी ने अपनी फसल की सुरक्षार्थ एंव अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एवं आने जाने में सुविधा के लिए इन पेड़ो को हटाया था जो उक्त सभी पेड़ अनुपयोगी थे। प्रार्थी अपने खेत में काफी वृक्ष लगा रखे है ओर हटाये गये पेड़ों की जगह एक पेड़ की जगह तीन पेड़ लगाने के लिए तैयार व तत्पर है। जो पेड़ काटे गये है उसकी नीलामी की जाती है तो इसमें प्रार्थी को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी बसीर ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी।

3. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। दरगाह के नाम दर्ज खातेदारी होना प्रार्थी ने बताया परन्तु नियमानुसार बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि में से अवैध पेड़ काटे गये है जिनको नीलाम ही किया जायेगा एवं अर्थ एण्ड से दण्ड़ित नियमानुसार किया जाता है अतः प्रार्थी जाकिर हुसैन का प्रा0पत्र खारिज किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थी को सुना जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार कुल 23 पेड़ काटे गये है, जिसके 100 रू0 प्रति पेड़ की दर से 2300 रू0 दण्डित किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिये जाते है कि जप्तशुदा पेड़ों की लकड़ियो की सार्वजनिक नीलामी कर फर्द नीलामी स्वीकृत हेतु 15 दिवस में न्यायालय में पेश करे। अप्रार्थी को आदेश दिये जाते है कि दण्डित की गई राशि तहसीलदार फुलेरा के यहा जमा कराये तथा नये तीन गुणों पेड़ लगाये जाकर पटवारी हल्का को मौका दिखाकर फोटोग्राफी सहित पेश करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner